| 3 | "CEDCLPCSMS100- साइबर सुरक्षा प्रबंधन और अनुपालन" | 3 1-10 1/ |
|------------------|--|----------------------|
| लेक्चर संख्या | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | अवधि/ कुल घंटे |
| तख्या | विषय-वस्तु | कुल पट |
| विषय | साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध एवं साइबर क्रानून | |
| | परिचय : | |
| | i. साइबर स्पेस एवं शिष्टाचार। | |
| | ii. साइबर सुरक्षा अवधारणा, परिभाषा (आईटी अधिनियम के अनुसार) और सिद्धांतों को समझे। | |
| | iii. साइबर सुरक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। | |
| | साइबर कानून के बारे में संक्षिप्त जानकारी: | |
| | i. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पर परिचय एवं महत्त्वपूर्ण प्रावधान। | |
| | ii. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पर परिचय एवं महत्त्वपूर्ण प्रावधान। | |
| | साइबर अपराध और इसकी रोकथामः | |
| | i. साइबर अपराध का परिचय एवं श्रेणी। | |
| | ii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित अपराध। | |
| | iii. साइबर अपराध के प्रकार। | |
| | iv. महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन साइबर अपराध और प्रतिरूपण घोटाले। | |
| | v. कार्यस्थल पर साइबर अपराध। | |
| | ऑनलाइन वित्तीय धोखाधडी और इसकी रोकथाम: | |
| | i. विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े साइबर जोखिम और संबंधित सुरक्षा उपाय। | |
| | ii. कियोस्क बैंकिंग, एटीएम एवं आधार कार्ड आधारित फ्रॉड। | 02 घंटा |
| | iii. पहचान चोरी एवं दस्तावेज का दुरुपयोग कर अवैध लोन, ओटीपी एवं अन्य SMS आधारित | |
| | फ्रॉड, अज्ञात / असत्यापित मोबाइल ऐप फ्रॉड - लोन, शेयर मार्केट, ई केवाईसी, रिमोट एक्सेस | |
| | इत्यादि,मोबाइल रिचार्ज शॉप फ्रॉड। | |
| | iv. मनी म्यूल एकाउंट्सः नये/फ़र्जी खाते खोलने एवं बैंक खातों का ऑनलाइन फ्रॉड में दुरुपयोग। | |
| | v. फिशिंग लिंक, विशिंग कॉल, एटीएम कार्ड स्किमिंग, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर | |
| | धोखाधड़ी, लॉटरी स्कैम, फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कैम, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैन | |
| | फ्रॉड, सर्च इंजन फ्रॉड, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिरुपण द्वारा छल, ई-बैंकिंग सेवा | |
| | (आरटीजीएस/ आईएमपीएस / एनईएफटी) आधारित धोखाधड़ी, ई सिम फ्रॉड, सिम स्वैप / सिम | |
| | क्लोनिंग, एसएमएस/ ईमेल / इंस्टेंट मैसेजिंग / कॉल स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। | |
| | शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया: | |
| | i. साइबर अपराध सम्बन्धी शिकायत, मध्य प्रदेश साइबर सेल, ऑनलाइन साइबर क्राइम एवं बैंक | |
| | फ्रॉड की शिकायत, यू पी आई संबंधी शिकायत। | |
| | ii. आरबीआई बैंक लोकपाल को शिकायत, बैंक एवं हेल्प लाइन नंबर में शिकायत। | |
| | iii. सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को शिकायत। | |
| | iv. साइबर अपराध की शिकायत के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? | |
| | v. न्याय निर्णायक अधिकारी। | |
| विषय | ई-गवर्नेस एवं शासकीय कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित नीति, नियम एवं सुरक्षा | |
| | इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटः | 03 घंटा |
| | i. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता। | |

| | ii. डिजिटल सिग्नेचर क्या है, कौन जारी करता है तथा कितने प्रकार के होते है। | | |
|------|---|---------|--|
| | iii. कानूनी मान्यता एवं प्रावधान। | | |
| | iv. डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण। | | |
| | v. डिजिटल हस्ताक्षरः तकनीकी एवं कानूनी मुद्दे। | | |
| | शासकीय कंप्यूटर एवं कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित नियम एवं प्रावधान | | |
| | i. आईटी अधिनियम 2000 के तहत संरक्षित प्रणाली एवं महत्व। | | |
| | ii. कंप्यूटर एवं कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित नियम तथा उपयोगकर्ता/अधिकारी की जिम्मेदारी। | | |
| | iii. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सूचना की गोपनीयता और सुरक्षा। | | |
| | iv. मध्य प्रदेश ईमेल नीति 2014 का अवलोकन। | | |
| | साइबर अपराध जांचः हैंडिलिंग और घटना प्रबंधन | | |
| | i. साइबर अपराध की प्रकृति को समझे। | | |
| | ii. साइबर अपराध बनाम पारंपरिक अपराध। | | |
| | iii. साइबर अपराध जांच प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया। | | |
| | iv. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और उपकरणों की हैंडिलिंग एवं सुरक्षा प्रक्रिया। | | |
| | v. जांच करने में जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका। | | |
| विषय | ई-भुगतान और ई-टेंडरिंग (E-Payment and E-tendering) सुरक्षा | | |
| | ई-टेंडरिंगः संबंधित साइबर खतरे, सुरक्षा उपाय, आई टी नियम-निर्देश एवं केस अध्ययन | | |
| | इलेक्ट्रॉनिक आहरण एवं संवितरण प्रक्रियाः संबंधित जोखिम एवं सुरक्षा उपाय: | | |
| | i. IFMS (/PIMS) ऑपरेशन एवं भुगतान प्रक्रियाः जोखिम एवं सावधानियाँ। | | |
| | ii. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की भूमिका एवं सुरक्षित प्रबंधन। | | |
| | iii. ईपीओ के संचालन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से जुड़े जोखिम। | | |
| | iv. ईपीओ से संबंधित संभावित साइबर धोखाधड़ी। | | |
| | v. सुरक्षित ईपीओ लेनदेन: सुरक्षा उपाय। | | |
| | vi. वन टाइम पासवर्ड का महत्व और इसका सुरक्षित प्रबंधन। | 01 घंटा | |
| | vii. ईपीओ करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां। | | |
| | viii. वन टाइम पासवर्ड का महत्व और इसका सुरक्षित प्रबंधन। | | |
| | शिकायत एवं नुकसान की भरपाई के लिए विशेष प्रावधान: | | |
| | i. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में हुए अनाधिकृत ट्रांजैक्शन/फ्रॉड | | |
| | की शिकायत। | | |
| | ii. अनाधिकृत अवैध ट्रांजैक्शन से शासकीय कोषालय को क्षतिपूर्ति के लिए विशेष न्यायालय एवं | | |
| | आवेदन प्रक्रिया। | | |
| विषय | साइबर सुरक्षा प्रबंधन: कार्यान्वयन, अनुपालन और मूल्यांकन | 06 घंटा | |
| | परिचय- साइबर सुरक्षा प्रबंधन समाधानः कार्यान्वयन, अनुपालन और मूल्यांकन: | | |
| | Computer Emergency Reponses Team- Indian (Ministry of Electronics and | | |
| | Information Technology) द्वारा निर्धारित Guidelines on Information Security | | |
| | Practices for Government Entities " साइबर सुरक्षा नियंत्रण | | |
| | | | |
| | MPCERT-Advisory dated 12.08.2024 | | |
| | • मध्यप्रदेश वित्त मंत्रालय- | | |
| | a. पत्र क्रमांक 927/आर-504/2019/ब-1/04, भोपाल, 28.07.2022 | | |
| | b. पत्र क्रमांक 564/आर-504/2019/ब-1/04, भोपाल, 19.04.2023 | | |
| | | | |

| | • मध्यप्रदेश ईमेल नीति, 2014 | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| | • मध्यप्रदेश कोषालय, 2020 | | | | | |
| | · | | | | | |
| | Section II - Guidelines on Information Security Practices for Government Entities | | | | | |
| | पासवर्ड सुरक्षा प्रबंधन | | | | | |
| 1. | सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड सेट करें। जिसके लिये निम्नलिखित नियमों का पालन करें। | | | | | |
| | a. कम से कम 10 अल्फान्यूमेरिक [अक्षर (A-Z, a-z) या अंक (0-9)]अक्षरों वाला हो। | | | | | |
| | b. इसमें कैपिटल (ABCZ) और स्मॉल (abcz) दोनों अक्षर हों। | | | | | |
| | c. इसमें कम से कम एक संख्या (उदाहरण के लिए, 0-9) हो। | | | | | |
| | d. इसमें कम से कम एक विशेष वर्ण (उदाहरण के लिए: \$, %, ^, &, *, (,), +, , ~, -, =, `, | | | | | |
| | {, }, [,], :, ", :, ', <, >, ?, /,,) हो। | | | | | |
| | e. सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड का उदाहरण: ^%Pl@Y! NiCE2024, | | | | | |
| | !nsideMy#C4stle0fC0des | | | | | |
| 2. | आसान एवं कमजोर पासवर्ड सेट न करें, कमजोर पासवर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: | | | | | |
| | i. इसमें 10 अक्षरों से कम हों। | | | | | |
| | ii. ऐसे शब्द जो शब्दकोश में पाया जा सके। जैसे एक शब्द, नंबर, जगह का नाम, जानवरों के नाम | | | | | |
| | अथवा नाम न हो। | | | | | |
| | iii. इसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि, पते, फोन नंबर, या परिवार के सदस्यों, पालतू | | | | | |
| | जानवरों, दोस्तों और काल्पनिक पात्रों के नाम शामिल हों। | | | | | |
| | iv. इसमें कार्य-संबंधी जानकारी जैसे भवनों के नाम, सिस्टम कमांड, साइट्स, कंपनियां, हार्डवेयर | | | | | |
| | या सॉफ़्टवेयर शामिल हों। | | | | | |
| | v. इसमें संख्या पैटर्न जैसे aaabbb, qwerty, zyxwvuts, या 123321 शामिल हों। | | | | | |
| | vi. इसमें सामान्य शब्दों को उल्टा लिखना, या नंबर के साथ लिखना (उदाहरण के लिए: terces, | | | | | |
| | secret1 या 1secret) शामिल हों। | | | | | |
| 3. | अलग-अलग यूजर अकाउंट के लिये एक ही या एक जैसे पासवर्ड का उपयोग न करें। | | | | | |
| 4. | पासवर्ड को नियमित रूप से 30 दिन में बदलें। | | | | | |
| 5. | पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें। जिसमें प्रशासनिक सहायक, सचिव, प्रबंधक, सहकर्मी और | | | | | |
| | परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। क्योंकि सभी पासवर्ड संवेदनशील, गोपनीय जानकारी होती है एवं | | | | | |
| | व्यक्तिगत उपयोग के लिये जारी किये गये है। | | | | | |
| 6. | पासवर्ड को ईमेल मैसेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार (जैसे: वाट्सएप चैट) में Save न करें। | | | | | |
| 7. | फोन पर पासवर्ड या वन टाइम पासवर्ड (OTP) न बतायें। | | | | | |
| 8. | पासवर्ड को कार्यालय में कहीं भी लिख कर न रखें। पासवर्ड को किसी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल | | | | | |
| | उपकरणों (फोन, टैबलेट) पर बिना एन्क्रिप्शन के Store न करें। | | | | | |
| 9. | एप्लिकेशन (उदाहरण के लिए, वेब ब्राउज़र) की "Remember Password" सुविधा का उपयोग न करें। | | | | | |
| 10. | किसी भी यूजर को संदेह होने पर कि उसका पासवर्ड असुरक्षित हो गया है जैसे पासवर्ड चोरी, हैक या | | | | | |
| 4.4 | किसी को शेयर कर दिया है तो उस घटना की रिपोर्ट करें एवं शीघ्र सभी पासवर्ड बदले। | | | | | |
| 11. | नया पासवर्ड अंतिम तीन पासवर्ड की तरह न हो। | | | | | |
| | इंटरनेट ब्राउज़िंग सुरक्षा प्रबंधन | | | | | |
| 12. | शासकीय एप्लिकेशन, ईमेल, बैंकिंग/भुगतान संबंधी सेवाओं या किसी अन्य महत्वपूर्ण एप्लिकेशन को | | | | | |
| | एक्सेस करते समय ब्राउज़र में निजी/गुप्त मोड (Private/Incognito Mode-Ctrl+Shift+N) का उपयोग | | | | | |
| | करें। | | | | | |

| 13. | यदि सीधे वेब लिंक पर क्लिक/एक्सेस करते समय, यूजर लॉगिन की आवश्यकता हो, तो लिंक पर क्लिक | |
|-----|---|--|
| | न करें, हमेशा साइट का डोमेन नाम/URL ब्राउजर में टाइप करें। | |
| 14. | इंटरनेट ब्राउज़र के latest version का उपयोग करें। | |
| 15. | ब्राउज़र नवीनतम पैच के साथ अपडेट रखें। | |
| 16. | इंटरनेट ब्राउज़र पर कोई भी Username, पासवर्ड या ऑनलाइन भुगतान संबंधी जानकारी save न करें। | |
| 17. | इंटरनेट ब्राउज़र पर अनजान सेवाएं Third party टूल बार Nord VPN, Express VPN, Tor, | |
| | Proxy/download manager, weather tool bar, ask me tool bar etc.) का उपयोग प्रतिबंधित | |
| | करें। | |
| 18. | कार्यालयीन कम्प्यूटर में कोई भी गेम इंस्टॉल न करें और न ही गेम खेलने के लिये उपयोग करें। | |
| 19. | किसी भी Shorten URL (जैसे: tinyurl.com/ab534/) पर सीधे क्लिक न करें, यह फ़िशिंग/मैलवेयर | |
| | वेब पेज पर ले जा सकता है या रेंसमवेयर जैसे हानिकारक प्रोग्राम सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। | |
| 20. | प्राइवेसी एवं सिक्योरिटी सेटिंग [जैसे: ब्राउजर एक्सेस के लिये सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड सेट करें, कुकीज़ | |
| | डिलीट करें एवं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इत्यादि सक्रिय करें] कन्फिगर (Configure) करें। | |
| | डेस्कटॉप सुरक्षा प्रबंधन | |
| 21. | कार्यालय के कंप्यूटर/लैपटॉप एक्सेस (Access) करने के लिए सभी अधिकारी/कर्मचारी के लिये Non- | |
| | Administrator Account Create करें एवं उपयोग करें। | |
| 22. | सिस्टम बूटिंग के लिए बायोस (BIOS) लेवल पासवर्ड सेट करें। | |
| | नोट: | |
| 23. | ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रस्टेड सोर्स से ऑटो अपडेट के लिये सेट करें। | |
| 24. | नवीनतम एवं लाइसेंस एंटी वायरस कम्प्यूटर/लैपटॉप पर इंस्टॉल करें एवं ऑटो अपडेट के लिये सेट करें। | |
| 25. | केवल अधिकृत एवं लाइसेंस्ड एप्लिकेशन/ सॉफ्टवेयर उपयोग किये जायें। | |
| 26. | यूजर अकाउंट एवं आवश्यकतानुसार अन्य एप्लीकेशनों में सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड सेट करें। | |
| 27. | ऐडमिन अकाउंट (Admin Account) को अन्य कर्मचारी या गेस्ट (Guest) यूजर को उपयोग करने की | |
| | अनुमित न दें। | |
| 28. | कार्यालय या वर्कस्टेशन छोड़ते समय या उपयोग नहीं करने पर कम्प्यूटर लॉक (Window+L), logoff | |
| | या shutdown करें। | |
| 29. | संस्थान/कार्यालय के कंप्यूटर संसाधनों एवं सिस्टम की Vulnerability Assessment/Penetration | |
| | Testing सुरक्षा ऑडिट करें। | |
| | * प्रत्येक 06 माह में इंटर्नल सिक्योरिटी ऑडिट एवं वार्षिक रूप से CERT-In से पैनल बद्ध एजेंसी से | |
| | Third party सुरक्षा ऑडिट करायें। | |
| 30. | सक्षम अधिकारी की विशिष्ट अनुमोदन के अलावा कार्यालय एवं कंप्यूटर संसाधनों पर रिमोट एक्सेस | |
| | (Remote Access) अक्षम (disable) रखें एवं उपयोग न करें। | |
| | नोट: यदि विशिष्ट कार्यों के लिये प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है तो उसका रिकार्ड सुरक्षित करें। | |
| | किसी भी रिमोट डेस्कटॉप एप्लिकेशन जैसे कि एनीडेस्क, टीमव्यूअर, एमी एडिमन आदि के उपयोग को प्रितिबंधित करें। | |
| 31. | कार्यालय के डेस्कटॉप/लैपटॉप पर USB/CD तक पहुंच सीमित करें। | |
| 31. | नोट: उपयोग न होने पर USB/CD पोर्ट डिसेबल करें। | |
| | डाटा सुरक्षा प्रबंधन | |
| 32. | संस्थान/ कार्यालय के एंडपॉइंट्स (जैसे:यूएसबी पोर्ट, ईमेल या अन्य डेटा ट्रांसफर माध्यम) को डेटा के | |
| 34. | अनाधिकृत निष्कासन (exfiltration) एवं चोरी से सुरक्षित रखें। | |
| | The grant (Cammanon) (A Alt (Grant (A) | |

| | नोट: सुरक्षा सोल्यूशन जैसे डेटा लॉस प्रिवेंशन (DLP), फायरवॉल, बायोमेट्रिक सुरक्षा, USB/Wi-Fi को | |
|------|---|--|
| | डिसैबल करना, पैच मैनेजमेन्ट आदि का उपयोग करें। | |
| | 1. यूएसबी पोर्ट/सीडी रोम ड्राइव डिसेबल रखे। | |
| | 2. External user को ऑफिस कंप्युटर एक्सेस करने के लिए 'guest user account' बनाए एवं | |
| | आवश्यकतानुसार डाटा/ फाइल ट्रांसफर के लिए ऐड्मिन से अनुमति प्रदान करें। | |
| | 3. अनौपचारिक वेबसाइट/मेल ब्लॉक करे। | |
| | 4. कम्प्यूटर सिस्टम में "व्हाट्सएप" को इंस्टॉल न करे फाइल/डाटा ट्रांसफर के लिये ईमेल सर्विस का | |
| | उपयोग करें। विशेष परिस्थितयों मे "व्हाट्सएप" उपयोग करने पर केवल डाटा/फाइल प्राप्त करने की | |
| | अनुमति दे जबकि फाइल ट्रांसफर/सेंड की अनुमति न दे। | |
| | ्र 5. कार्यालीन डाटा/ फाइल ट्रांसफर के लिए आधिकारिक मोबाइल फोन का उपयोग करे। | |
| | 6. कर्मचारी द्वारा कार्यालय छोड़ने पर तत्काल रूप से उसके दिए गये अकाउंट एवं क्रेडेंटियल्स जैसे आई | |
| | डी पासवर्ड डीऐक्टिवेट करे तथा 180 दिन तक उपयोग न होने पर अकाउंट को डिलीट किया जा सकता है | |
| | 1 | |
| 33. | ं अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय की जानकारी या डेटा को गोपनीय रखें। | |
| 34. | किसी भी परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना संस्थान/कार्यालय के संवेदनशील | |
| J-1. | (Sensitive) या गोपनीय डाटा को किसी भी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी के साथ शेयर न करे। | |
| 25 | संस्थान/कार्यालय में मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का निर्धारित समयान्तराल पर नियमित रूप से डाटा बैकअप | |
| 35. | संस्थान/काषालयं में मुख्य के ब्यूटर सिस्टम का नियारित समयानारील पर नियामत रूप से डाटा बक्जप ली | |
| 26 | | |
| 36. | e-Waste management: कम्प्यूटर संसाधनों (जैसे: स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर) का निपटान या विक्रय करते | |
| | समय स्टोर डाटा को Wipe करें। | |
| | नोट: डेटा वाइपिंग टूल का उपयोग करें। | |
| 37. | | |
| | तो उस स्थिति में कार्यालय से जुड़ी जानकारी (Data) को वापस लें। | |
| | नोट: यूजर अकाउंट और एक्सेस अधिकारों को निष्क्रिय या ब्लॉक कर सुरक्षित करें। Employee Exit | |
| | Form का उपयोग किया जा सकता है। | |
| | ई-भुगतान सुरक्षा प्रबंधन | |
| 38. | ब्राउज़र में अपने PFMS के लॉगिन Credentials को सेव न करे। | |
| | *ई-भुगतान यूजर अकाउंट का पासवर्ड ईमेल आई डी का पासवर्ड न रखें। | |
| 39. | सभी अकाउंट के डिफॉल्ट पिन, लॉगिन पासवर्ड नियमित रूप से पासवर्ड सुरक्षा प्रबंधन के क्लॉज़ 01 के | |
| | अनुसार बदलते रहे। | |
| 40. | कम्प्यूटर सिस्टम में "व्हाट्सएप" को इंस्टॉल न करे फाइल/डाटा ट्रांसफर के लिये ईमेल सर्विस का उपयोग | |
| | करें। | |
| 41. | ई-भुगतान अकाउंट का एक्सेस किसी अन्य को न दें और ना ही Credentials शेयर करें। | |
| 42. | कमरों की सफाई और हाउसकीपिंग स्टाफ द्वारा कागज़ के कचरे को हटाने का काम केयरटेकर स्टाफ़ की | |
| | देखरेख में करवायें। | |
| 43. | संदिग्ध ईमेल या किसी भी सुरक्षा घटना की रिपोर्ट event@cert-in.org.in और event@nic- | |
| | cert.nic.in पर करें। | |
| | नोट: NIC-CERT (https://nic-cert.nic.in/advisories.jsp) और CERT-In | |
| | (https://www.cert-in.org.in) द्वारा प्रकाशित सुरक्षा सलाह का पालन करें। | |
| 44. | किसी भी भुगतान से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी बिलों की पूर्व जांच करें। | |
| 45. | संवेदनशील सीटों पर संविदा कर्मचारियों को नियुक्त न करें। | |
| 45. | ्रत्ययपराहि। साटा पर सायपा कमयाहिया का गियुक्त में करा | |

| 46. | पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त मैसेज, जानकारी या वन टाइम पासवर्ड (OTP) किसी के साथ शेयर न करें। | _ |
|-----|--|---|
| 47. | बैंक रिकॉन्सिलएशन एवं इन्टर्नल चेक/ऑडिट | |
| | एजेंसी एडिमन को साप्ताहिक निम्नानुसार इन्टर्नल चेक/ऑडिट करना चाहिए। | |
| | i. पेमेंट असफलता एवं इसके कारण का पता लगाएं। | |
| | ii. सभी सफल भुगतान ट्रांसफर होने पर वेरीफाई करें एवं बेनिफिशरी खाते की जांच करें। | |
| | iii. बैंक अकाउंट बैलन्स को actual पासबुक बैलेंस से मैच करें। | |
| 48. | डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सुरक्षा प्रबंधन | |
| | i. अधिकृत डीएससी उपयोगकर्ता/स्वामी अपने डीएससी का स्वयं उपयोग करें एवं किसी भी अन्य | |
| | व्यक्ति को डीएससी शेयर न करें यदि डीएससी के अनिधकृत उपयोग से संबंधित कोई कानूनी मुद्दा | |
| | होता है तो इसकी जिम्मेदारी डीएससी स्वामी की होगी। | |
| | ii. डीएससी चोरी या गुमने पर तत्काल रूप से संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी या अधिकारी को | |
| | शिकायत करें। | |
| | iii. डीएससी के पासवर्ड की सुरक्षा का प्रबंधन पासवर्ड सुरक्षा प्रबंधन के क्लॉज़ 01 के अनुसार सुनिश्चित करें। | |
| | iv. डीएससी की वैधता चेक करें यदि वैधता समाप्त हो जाती है तो डीएससी का उपयोग न करें। | _ |
| | v. किसी भी गैर कानूनी कार्यों मे डीएससी का उपयोग न करें। | |
| | vi. बैच में भुगतान करते समय डीएससी साइन/उपयोग करने से पहले प्रत्येक फिज़िकल बिल को चेक | |
| | करें। | |
| | vii. कार्यालय के अतिरिक्त बाहिरी कम्प्यूटर का उपयोग करके भुगतान करने में डीएससी का उपयोग न करें। | |
| | viii. ऑनलाइन भुगतान एवं फिज़िकल डॉक्यूमेंट सत्यापन करने में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश व | |
| | प्रक्रिया का पालन करें जब तक की विशेष दिशा-निर्देश जारी न किए गए हो। | |
| 49. | घटना प्रबंधन: किसी भी स्थिति में ई-भुगतान अकाउंट के अनाधिकृत एक्सेस और/या अवैध राशि ट्रांसफर, | |
| | पासवर्ड चोरी होने पर सक्षम अधिकारी को सूचित करें एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के | |
| | अनुसार आपराधिक जांच व क्षतिपूर्ति के लिये वैधानिक कार्यवाही करें। | |
| | ई-मेल सुरक्षा प्रबंधन | |
| 50. | नियमानुसार सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड सेट करें। | |
| 51. | म प्र ई-मेल नीति, 2014 के समस्त प्रावधानों का अनुपालन करें। | |
| 52. | ईमेल द्वारा किये गये किसी मेल एवं सूचना की जिम्मेदारी अधिकृत उपयोगकर्ता/मालिक की होगी। अत: | |
| | केवल वैध एवं कार्यालयीन कार्यों में ही ई मेल सेवा का उपयोग करें। | |
| 53. | ई मेल अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने न दें। | |
| 54. | आधिकारिक संचार के लिए कभी भी किसी अनिधकृत/बाहरी ईमेल सेवा का उपयोग न करें। जैसा कि | |
| | मध्य प्रदेश ईमेल नीति के clause 1.2.3 में उल्लिखित है। | |
| 55. | अटैचमेंट डाउनलोड करने से पहले Sender का ईमेल पता Verify करें। | |
| 56. | "Login history" टैब पर क्लिक करके नियमित रूप से पिछले login गतिविधियों की समीक्षा करें। | |
| 57. | ई मेल अकाउंट पर Two-Factor Authentication enable करें। | |
| 58. | संवेदनशील दस्तावेज सार्वजनिक नेटवर्क में डाउनलोड न करें। | |
| 59. | ई-मेल के माध्यम से फ़ाइल transfer में एन्क्रिप्शन या गोपनीय मोड इनैबल करें। | |
| | नोट: Confidential Toggle Mode का उपयोग किया जा सकता है। | |

| | रिमूवेबल (Removable) मीडिया सुरक्षा प्रबंधन | |
|-----|---|---|
| 60. | केवल कार्यालय के रिमूवेबल मीडिया (Pen drive, Memory Card, portable Hard disk, etc.) | |
| | उपकरणों का ही उपयोग करें। | |
| 61. | कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे सभी रिमूवेबल मीडिया पर अपना नाम, तारीख, और उपयोग का उद्देश्य | |
| | लिखें। | |
| 62. | उपयोग से पहले रिमूवेबल मीडिया की किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति की जाँच करें एक्सेस करने से | |
| | पहले उसे एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर से स्कैन करें। | |
| 63. | रिमूवेबल मीडिया को उपयोग न होने पर लॉकर या दराज में लॉक करें। | |
| 64. | रिमूवेबल मीडिया को बिना देखरेख के या आसानी से पहुंच योग्य जगहों में न छोड़ें। | |
| 65. | पहली बार उपयोग करने से पहले रिमूवेबल मीडिया को फॉर्मेट करें। | |
| 66. | रिमूवेबल मीडिया का उपयोग केवल कार्यालयीन कार्यों में करें। | |
| 67. | किसी भी उद्देश्य के लिए रिमूवेबल मीडिया का उपयोग करने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। | _ |
| 68. | मैलवेयर या अनिधकृत पहुंच के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक या अविश्वसनीय कंप्यूटरों पर | |
| | रिमूवेबल मीडिया का उपयोग करने से बचें। | |
| 69. | रिमूवेबल मीडिया में स्टोर दस्तावेज़ों को हमेशा सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड से सुरक्षित रखें। | |
| 70. | कभी भी रिमूवेबल मीडिया को अनधिकृत व्यक्तियों या संगठनों के साथ शेयर न करें। | |
| | मोबाइल एवं सिम सुरक्षा प्रबंधन | _ |
| 71. | फोन में सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड सेट करें। एवं अपना फोन किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने न दें। | |
| 72. | फोन में एप्लीकेशन परमिशन प्रबंधित करें। जैसे: आवश्यकतानुसार किसी भी एप्लीकेशन को कैमरा, | _ |
| | माइक, लोकेशन या कॉन्टेक्ट लिस्ट इत्यादि एक्सेस करने की अनुमति दें। | |
| 73. | Google (एंड्रॉइड के लिए) और ऐप्पल (iOS के लिए) के आधिकारिक ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। | _ |
| 74. | फोन में अवांछित एप्लीकेशन या अनजान व्यक्ति द्वारा वाट्सएप्प पर भेजी गई '.apk' एप्लीकेशन फाइल | |
| | इंस्टॉल न करें। | |
| 75. | फोन में शासन द्वारा अधिकृत एंटी वायरस एप्लीकेशन जैसे: M-Kavach 2.0 (C-DAC द्वारा जारी) | |
| | इत्यादि इंस्टॉल करें। एवं नियमित रूप से स्केन करें। | |
| 76. | शासकीय सेवाओं एवं ऑनलाइन अकाउंट में पंजीकृत मोबाइल नंबर की सिम बंद होने पर शीघ्र शिकायत | |
| | करें एवं तत्काल रूप से सक्रिय करावें। | |
| 77. | पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त मैसेज, जानकारी या वन टाइम पासवर्ड (OTP) किसी के साथ शेयर न | |
| | करें। | |
| 78. | मोबाइल आपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करें। | _ |
| 79. | मोबाइल फोन पर वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और अन्य सेंसर को बंद रखें। इन्हें केवल | _ |
| | आवश्यकता पड़ने पर ही चालू करें। | |
| 80. | अपने फोन में ऑटो डाउनलोड को बंद करें। | |
| 81. | कार्यालय मे काम करते समय आधिकारिक मोबाइल फोन एवं मोबाईल नंबर का उपयोग करे। | _ |
| 82. | कोई भी applications बिना अप्रूवल के कार्यालीन मोबाईल फोन मे इंस्टॉल न करे। | _ |
| 83. | कार्यालीन मोबाईल फोन मे केवल कार्यालीन ईमेल आई डी का उपयोग करे। | _ |
| 84. | कार्यालीन मोबाईल फोन मे public Wi-Fi का उपयोग न करे। | _ |
| | सोशल मीडिया सुरक्षा प्रबंधन | |
| 85. | सुरक्षित एवं कठिन पासवर्ड सेट करें। | _ |
| 86. | सोशल मीडिया और नेटवर्किंग साइट्स पर जाते समय व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग/एक्सपोज़र को | _ |

| | सीमित और नियंत्रित करें। | |
|------|---|--|
| 87. | किसी friend request को स्वीकार करने से पहले हमेशा व्यक्ति की प्रामाणिकता की जाँच करें। | |
| 88. | सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। | |
| 89. | कसी भी अज्ञात संपर्क/उपयोगकर्ता द्वारा भेजे गए लिंक या फ़ाइलों पर क्लिक न करें। | |
| 90. | सोशल मीडिया पर कोई भी आंतरिक सरकारी दस्तावेज़ या जानकारी प्रकाशित, पोस्ट या साझा न करें। | |
| 91. | सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी असत्यापित जानकारी प्रकाशित, पोस्ट या साझा न करें। | |
| 92. | किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर @gov.in/@nic.in ईमेल पता साझा न करें। | |
| 93. | आधिकारिक संचार के लिए किसी तीसरे पक्ष के मैसेजिंग ऐप के बजाय NIC के संदेश ऐप का उपयोग | |
| | करें। | |
| | नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन | |
| 94. | नेटवर्क एक्सेस के लिये एक्टिव यूजर डायरेक्टरी बनायें। नेटवर्क एक्सेस लॉग को 180 दिनों तक सुरक्षित | |
| | रखें। | |
| | नोट: सर्वर एवं firewall का उपयोग किया जा सकता है। | |
| 95. | पहली बार इंस्टालेशन के बाद सभी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स/ पासवर्ड और कॉन्फ़िगरेशन बदलें। | |
| | नोट: संस्थान/ कार्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि नेटवर्क उपकरणों और सूचना प्रणालियों के | |
| | डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स, जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और टोकन इत्यादि पहली बार उपयोग से पहले | |
| | बदल दिए जाएं। | |
| 96. | Bring Your Own Device को प्रतिबंधित करें तथा नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेटर की अनुमित के बिना किसी | |
| | भी अज्ञात कम्प्यूटर संसाधन को नेटवर्क में Access की अनुमति न दें। | |
| 97. | सुनिश्चित करें कि SSID (Service Set Identifier) और/अथवा वाई-फाई उपयोगकर्ताओं के आधार | |
| | पर नेटवर्क विभाजन हो। यदि विभाजन नहीं किया गया है तो डिवाइस बाइंडिंग सुरक्षा क्रियान्वित करें। | |
| 98. | सुनिश्चित करें कि आवश्यकतानुसार SSID अथवा प्रोफाइल अथवा डिवाइस बाइंडिंग के अनुसार पहुँच | |
| | Access Control नीतियां लागू करें। | |
| 99. | संस्थान/ कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि एक्सेस पॉइंट्स (APs) या WLAN स्विचों पर सभी सुरक्षा उपाय | |
| | लागू किए जाएं ताकि उन्हें अनिधकृत पहुंच से सुरक्षित रखा जा सके। | |
| | नोट: Firewall, पासवर्ड सुरक्षा, एवं नियमानुसार सुरक्षा ऑडिट करें। | |
| 100. | कार्यालय में व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग संस्थान/ कार्यालय के संबंधित नेटवर्क ऐड्मिनिस्ट्रेटर द्वारा | |
| | अधिकृत होना सुनिश्चित करें। नोट:एक्सेस रिक्वेस्ट फार्म का उपयोंग किया जा सकता है। | |
| 101 | सुनश्चित करे कि उपयोगकर्ता स्तर पर सभी डिवाइसों में यूजर अकाउंट का उपयोग हो और ऐड्मिन | |
| 101. | अकाउंट का उपयोग केवल नेटवर्क/सिस्टम एडिमिनिस्ट्रेटर तक ही सीमित रहे। | |
| 102 | संस्थान/कार्यालय के नेटवर्क का Vulnerability Assessment/Penetration Testing सुरक्षा ऑडिट | |
| 102. | करें। | |
| | * प्रत्येक 06 माह में इंटर्नल सिक्योरिटी ऑडिट एवं वार्षिक रूप से CERT-In से पैनलबद्ध एजेंसी से | |
| | Third party सुरक्षा ऑडिट करायें। | |
| | भौतिक सुरक्षा प्रबंधन | |
| 103 | कम्प्यूटर संसाधन एवं आईटी प्रणालियों तक अनधिकृत एक्सेस, भौतिक क्षति और छेड़छाड़ को रोकें। | |
| 104. | | |
| | पत्र, बायोमेट्रिक, और विज़िटर लॉग रजिस्टर इत्यादि के माध्यम रिकार्ड रखें। | |
| 105. | निगरानी और मॉनिटरिंग: | |
| · • | | |

| | | ~C % C | | <u> </u> | | | |
|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | का उपयोग करे | जिसमें 90 दिनों की | सीसीटीवी फुटेज को | | |
| | | की क्षमता हो। | | | | | |
| 106. | कार्यालय के सभी कम्प्यूटर | | | | | | |
| | जिसमें कम्प्यूटर संसाधनों की लेबलिंग और हैंडलिंग तथा अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित कम्प्य | | | | | | |
| | संसाधन की जानकारी आदि | | | | | | |
| 107. | 7. जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है या प्रोजेक्ट पूरा करता है या उसकी भूमिका परिवर्तित होती है, | | | | | | |
| | तो उस स्थिति में कार्यालय द्वा | रा प्रदत्त सभी कम्प् | यूटर संसाधन , | मोबाइल या अन्य उ | गकरण वापस लें। | | |
| | Employee Exit Form उप | ायोग किया जा सक | ता है । | | | | |
| | | सामान्य | सुरक्षा प्रबंध | ग न | | | |
| 108. | कार्यालय में आई टी सेवाऐं प्र | दान करने वाले एवं | कम्प्यूटर संसा | धनों को एक्सेस करने | वाले किसी भी सेवा | | |
| | प्रदाता/वेंडर के कर्मचारियों के | | • (| | | | |
| | रिक्वेस्ट फार्म हस्ताक्षरित कर | | ` | C | | | |
| 109. | वेंडर/सर्विस प्रोवाइडर के साथ | | मेंट (SLA) ह | | | | |
| | संविदा/अनुबंधित कर्मचारी | | | | (Non discloser | | |
| | agreement) हस्ताक्षरित कर | 9 | | | | | |
| 111. | एग्रीमेंट को अपडेट रखें जिसर | | प्रभावी बना र | हे। | | | |
| | नोट: जो भी अनुबंध संस्थान | | | | जाने चाहिए। | | |
| 112. | कर्मचारियों के लिए नियमित | | | | | | |
| | कार्यालय में कम्प्यूटर संसाधनों एवं डाटा पर एक्सेस कन्ट्रोल प्रबंधन निम्नानुसार करें। | | | | | | |
| | 1. एक्सेस अधिकार प्रब | | | | | | |
| | | | | | टाने के लिए उनकी | | |
| | | और जिम्मेदारियों व | · · | | | | |
| | | | | | नम्प्यूटर संसाधनों का | | |
| | | • | | लये उचित प्रशिक्षण र | • (| | |
| | नोट: रोल कान्फ्लिक्ट मैट्रि | • | | | | | |
| | (allocate) किये जा सकते है | | | • | | | |
| | सहायता करता है कि कौन सी | | | | | | |
| | हैं। उदाहरण के लिए: | α | | | | | |
| | भूमिका/जिम्मेदारी | कार्यालय प्रमुख | अकाउंटेंट | अध्यापक | आईटी स्टाफ | | |
| | छात्रों के ग्रेड रिकार्ड तक | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | | |
| | एक्सेस | | | - | | | |
| | वित्तीय रिकार्ड तक एक्सेस | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | | |
| | आई टी एडिमिनिस्ट्रेटर | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | | |
| | 2. उपयोगकर्ता प्रमाणीव | | | ~ | ~ | | |
| | | | | अन्य प्रावधानों का उ | गनुपालन करे। | | |
| | | र ऑथेंटिकेशन (M | | | | | |
| | 3. एक्सेस समीक्षा और | | | | | | |
| | | प से एक्सेस अधिक | | | , , | | |
| | | | | धेत यूजर अकाउंट ३ | गौर एक्सेस अधिकारों | | |
| | को निष्क्रिय या ब्लॉक कर सुरक्षित करें। 4. निगरानी और रिपोर्टिंग (Monitoring and Reporting):- महत्वपूर्ण सिस्टम और डेटा के | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | एक्सेस की निरंतर निगरानी करें तथा अद्यतन एक्सेस रिपोर्ट तैयार करें। | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 114. | साइबर हमला (Cyber Attack) या साइबर अपराध की घटना की शिकायत शासन द्वारा निर्धारित | | | | | | | |
| | प्लेटफॉर्म जैसे राष्ट्रीय साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930/ www.cybercrime.gov.in या विभागीय ISSC | | | | | | | |
| | (Information Security Steering Committee) या MPCERT पर करें। | | | | | | | |
| 115. | कार्यालय में क्लियर डेस्क (Clear desk) और क्लियर स्क्रीन (Clear Screen) प्रक्रिया निम्नानुसार | | | | | | | |
| | क्रियान्वित करें। | | | | | | | |
| | i. कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर, हार्डकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभी संवेदनशील/गोपनीय | | | | | | | |
| | जानकारी सुरक्षित रखें। | | | | | | | |
| | ii. डेस्क को छोड़ते समय कंप्यूटर को लॉक (Window+L) करें। | | | | | | | |
| | iii. कार्यालय से बाहर जाते समय कंप्यूटर वर्कस्टेशन को पूरी तरह से बंद करें। | | | | | | | |
| | iv. उपयोग न होने पर लैपटॉप को दराज या लॉकर में सुरक्षित रखें। | | | | | | | |
| | v. कम्प्यूटर स्क्रीन पर संवेदनशील जानकारी न रखें एवं स्क्रीन को क्लियर रखें। | | | | | | | |
| 116. | जहां भी कोई कार्य थर्ड पार्टी या वेन्डर सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स की जाती है और उन्हें कार्य का | | | | | | | |
| | कान्ट्रैक्ट (work contract) दिया जाता है, यह सुनिश्चित करें कि कान्ट्रैक्ट में सूचना एवं कम्प्यूटर संसाधन | | | | | | | |
| | सुरक्षा की आवश्यकताएं शामिल हैं। | | | | | | | |
| | नोट: जैसे यदि छात्रों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण या ऑनलाइन परीक्षा किसी बाहरी संस्था से कराई जाती है | | | | | | | |
| | तो उसके अनुबंध में भारतीय कानून एवं मानक डाटा सुरक्षा उपायों का पालन करनें का प्रावधान होने का | | | | | | | |
| | सुनिश्चित करे। | | | | | | | |
| | कार्यालय में इन्वर्टर/ पावर बैकअप सिस्टम रखें। | | | | | | | |
| | प्रिंटआउट्स एवं फोटोकॉपी का लॉग (रिकॉर्ड) रखें। | | | | | | | |
| 119. | . यदि एक कम्प्यूटर को एक से ज्यादा यूजर द्वारा उपयोग करने की स्थिति में अलग-अलग यूजर अकाउंट | | | | | | | |
| | का उपयोग करें एवं एक्सेस लॉग रजिस्टर का रखरखाव करें। | | | | | | | |
| 120. | अनौपचारिक एवं अप्पतिजनक वेब कंटेन्ट एवं वेबसाईट को न खोले। | | | | | | | |